स्कूलों में शारीरिक दंड: RTE धारा 17 के बैन के बावजूद क्यों बना है; WHO चेतावनी

प्रकाशित: 16 नवंबर 2026 · प्रिलिम्स · polity



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

कोझिकोड (केरल) में एक 10 वर्षीय कक्षा-5 की छात्रा को पीटने के आरोप में अरबी शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया (15 नवंबर) - इसी बीच द हिंदू की एक व्याख्या-रिपोर्ट ने सवाल उठाया: **बैन के 15+ वर्ष बाद भी भारतीय कक्षाओं में शारीरिक दंड (corporal punishment) क्यों बना हुआ है?** रिपोर्ट में WHO, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और NGO-सर्वेक्षणों के आंकड़े उद्धृत हैं।

कानूनी ढाँचा (सत्यापित तथ्य)

- **RTE अधिनियम 2009, धारा 17:** किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न देना **प्रतिबंधित** - शैक्षणिक संस्थानों में स्पष्ट कानूनी बैन।
- **बाल अधिकार:** UN बाल अधिकार संधि (UNCRC) और राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR/SCPCR) की निगरानी-भूमिका; केरल मामले में पिता ने राज्य SCPCR में शिकायत दर्ज कराई।

अध्ययन और आंकड़े

- **'Child Abuse in India - 2007' (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय):** हर तीन में से दो स्कूली बच्चों ने शारीरिक दंड का सामना करने की बात कही।
- **Agrasar (NGO) सर्वेक्षण, गुड़गाँव 2018:** हाशियाकृत समुदायों के **80% विद्यार्थियों** ने शिक्षकों से ऐसे दंड का सामना बताया - जाति/वर्ग-आयाम स्पष्ट।
- **WHO रिपोर्ट:** शारीरिक दंड से तंत्रिका, हृदय-वाहिका और पोषण तंत्र पर अत्यधिक बोझ; मस्तिष्क की संरचना-कार्य में बदलाव; मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ; संज्ञानात्मक और सामाजिक-भावनात्मक विकास पर प्रतिकूल असर।

क्यों बना हुआ है: विश्लेषण

- **सांस्कृतिक वैधता:** "अनुशासन" की संस्कृति दंड-परंपरा को सामान्य बनाती है; शिकायत करने पर शिक्षकों की धमकियाँ (जैसे फेल करने की) रिपोर्टिंग दबाती हैं।
- **कमजोर प्रवर्तन:** धारा 17 के बावजूद स्कूल-स्तरीय शिकायत-तंत्र और निगरानी अपर्याप्त; प्रबंधन अक्सर शिक्षक की ढाल बनता है।
- **वैकल्पिक अनुशासन:** सकारात्मक अनुशासन (positive discipline) और शिक्षक-प्रशिक्षण की कमी - नीति की दिशा।

संबंधित लेख: कर्नाटक स्कूलों के लिए बाल-सुरक्षा दिशानिर्देश परिपत्र

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: शारीरिक दंड (corporal punishment) के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं?
1. RTE अधिनियम 2009 की धारा 17 इसे प्रतिबंधित करती है।
2. MWCD के 'Child Abuse in India 2007' अध्ययन में दो-तिहाई बच्चों ने दंड की बात कही।
3. Agrasar का 2018 सर्वेक्षण कोलकाता के स्कूलों में हुआ था।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

▶ उत्तर और व्याख्या

प्रश्न 2: भारत में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न से रोकने वाला प्रमुख कानूनी प्रावधान कौन-सा है?

(a) IPC की धारा 302

(b) RTE अधिनियम 2009 की धारा 17

(c) श्रम अधिनियम 2013

(d) RTI अधिनियम 2005

▶ उत्तर और व्याख्या

FAQ

संक्षिप्त उत्तर: कोझिकोड में 10 वर्षीय छात्रा को पीटने के मामले के बीच नई रिपोर्ट - RTE धारा 17 के बैन के बावजूद शारीरिक दंड जारी; MWCD 2007: दो-तिहाई बच्चे प्रभावित; WHO: मस्तिष्क-विकास पर दीर्घकालिक असर।

प्रश्न: भारत में स्कूलों में शारीरिक दंड कानूनन क्या स्थिति है?

RTE अधिनियम 2009 की धारा 17 शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न दोनों प्रतिबंधित करती है - पूर्ण कानूनी बैन है।

प्रश्न: शारीरिक दंड के बच्चों पर क्या असर बताए गए हैं?

WHO के अनुसार तंत्रिका, हृदय-वाहिका और पोषण तंत्र पर अतिभार, मस्तिष्क संरचना-कार्य में बदलाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ और संज्ञानात्मक-सामाजिक-भावनात्मक विकास में बाधा।

प्रश्न: कोझिकोड मामले में क्या हुआ?

केरल के कोझिकोड में 6 नवंबर को एक अरबी शिक्षक ने कथित रूप से 10 वर्षीय कक्षा-5 छात्रा को सहपाठियों के सामने पीटा; पुलिस ने मामला दर्ज किया और पिता ने राज्य बाल अधिकार आयोग में भी शिकायत की।

स्रोत

- द हिंदू: Why corporal punishment persists in Indian classrooms despite the ban (14 नवंबर 2026) - WHO, MWCD 2007 और Agrasar 2018 आंकड़े इसी रिपोर्ट में उद्धृत
- द हिंदू: Kozhikode teacher charged after caning Class 5 student (15 नवंबर 2026)